मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 24 जुलाई, 2017 (श्रावण 2, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री मोहनलाल सेठिया, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री कैलाश चावला, यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्यगण द्वारा शोकोदगार व्यक्त किये गये. अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की गई तथा सदन द्वारा 2 मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.10 बजे 5 मिनट के लिये स्थगित की जाकर 11.18 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नकाल में उल्लेख पर अध्यक्षीय व्यवस्था

(1) प्रश्नोत्तर सूची में डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री का नाम अंकित होना

श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य ने उल्लेख किया कि आज की प्रश्नोत्तरी में डॉ. नरोत्तम मिश्र का नाम मंत्री के रूप में उल्लेख किया है. सरकार यह स्पष्ट करे कि वह अभी मंत्री हैं या नहीं. विषय की गंभीरता को समझते हुए पहले यह निर्णय ले लें, तब प्रश्नकाल आगे बढ़ेगा. क्योंकि चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है उनका नाम मंत्री के रूप में यहां उल्लेखित किया गया है. श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने भी यही अनुरोध किया.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि पहले प्रश्नकाल पूर्ण हो जाने दें. संविधान के अनुच्छेद 164 (4) में स्पष्ट प्रावधान है उसको आप पढ़ लें. आपत्ति का समाधान प्रश्नकाल के बाद कर देंगे. माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि आप सदन चलने दें. आप लोगों को जो कुछ भी कहना है वह शून्यकाल में कहेंगे तो ठीक रहेगा.

(2) अनुसूचित जाति के एक विधायक का अपमान होना

श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य एवं डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने उल्लेख किया कि श्री गोपीलाल जाटव अशोक नगर के विधायक ने एक ट्रामा सेन्टर का उदघाटन किया, परन्तु कांग्रेस के सांसद ने उसे गंगाजल से धुलवाया. यह दलितों का घोर अपमान है. पहले इस विषय पर आप चर्चा करायें. श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस कृत्य को दबाने के लिए श्री सुन्दरलाल तिवारी ने यह विषय उठाया है.

श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने कहा कि लोकतंत्र के 70वें वर्ष में अनुसूचित जाति का अपमान करके, डॉ. अम्बेडकर की भावनाओं को कुचलना अन्यायपूर्ण है. दलित अपमान से पूरे प्रदेश का दलित वर्ग आंदोलित है. कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए.

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे कार्यवाही को चलने दें और अपनी बात को शून्यकाल में कहें. तब सबको अवसर दिया जायेगा.

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 8 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 एवं 10) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 174 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 182 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री लखन पटेल, सदस्य की दमोह के पथरिया विधानसभा क्षेत्र में मंडी बोर्ड द्वारा बनाई गई सड़कों के रख-रखाव करने,

(2) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य की भीकनगांव क्षेत्र में बिजली संकट होने,

(3) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य की खण्डवा के ओंकारेश्वर हेतु परिवहन की सुविधा न होने,

(4) श्री रामपाल सिंह, सदस्य की शहडोल के ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आखेटपुर में हाई स्कूल खोले जाने,

(5) श्री भारत सिंह कुशवाह, सदस्य की प्रदेश भर में सड़क निर्माण कार्य में पौध रोपण कार्य जोड़े जाने,

(6) श्री विजय सिंह सोलंकी, सदस्य की खरगौन जिले के ग्राम पंचायत बरूड द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमिता होने,

(7) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य की रीवा जिले के बैकुण्ठपुर से लालगांव तक बनी सड़क के किनारे नाली का निर्माण न किये जाने,

(8) श्री चम्पालाल देवड़ा, सदस्य की देवास जिले के बागली विधानसभा क्षेत्र में उदयनगर से कनाड मार्ग का अधूरा निर्माण कार्य होने,

(9) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की दमोह जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्य पूर्ण न होने तथा

(10) श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य की सिंगरौली जिले के ग्राम रजदहा से हरफकी तक सड़क मार्ग की हालत जर्जर होने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

5. शून्यकाल में उल्लेख पर अध्यक्षीय व्यवस्था

(1) अनुसूचित जाति के एक विधायक का अपमान होना

श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री, सहकारिता एवं एवं श्री रामेश्वर शर्मा, डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय तथा श्री के.के. श्रीवास्तव आदि सदस्यगण ने पुन: उल्लेख किया कि अनुसूचित जाति के विधायक का अपमान किया गया है इसलिए श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहां बुलाया जाये, उन्हें कठघरे में खड़ा करके उनसे माफी मंगवाई जाये अन्यथा हम आपकी अनुमति लेकर उपवास पर बैठेंगे. इसी दौरान श्री लाखन सिंह यादव, सदस्य द्वारा अखबार को लहराकर प्रदर्शन करने पर उन्हें आसंदी द्वारा नियमानुसार अनुमति नहीं दी गई.

अत्यधिक व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही मध्याह्न 12.05 बजे से 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 12.20 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से अनुरोध किया कि मैं अनुमति देने को तैयार हूं लेकिन आप लोग बिना अनुमति के न बोलें. इस तरह से विधान सभा नहीं चल पाएगी. श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य ने सदन से प्रार्थना की कि श्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया ने श्री गोपीलाल जाटव का अपमान किया है, पूरा सदन उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करें.

अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य को सूचित किया कि यह टेनेबल नहीं है.

अत्यधिक व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही मध्याह्न 12.24 बजे से 15 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 12.42 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री, सहकारिता ने उल्लेख किया कि श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कृत्य से दलित समाज और श्री गोपीलाल जाटव विधायक का अपमान हुआ है. इस पर हम विशेषाधिकार हनन का मामला लेकर के आयेंगे, आपका संरक्षण चाहिये. अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य को सूचित किया कि आप नियमों के अनुसार प्रस्ताव दें. यहां पर बोलने की आवश्यकता नहीं है.

(2) प्रश्नोंत्तर सूची में डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री का नाम अंकित होना

श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य ने पुन: उल्लेख किया कि आज की प्रश्नोत्तरी में डॉ. नरोत्तम मिश्र, मंत्री का नाम प्रश्न संख्या-2 में जवाब देने वाले मंत्री के रूप में उल्लेखित था. कुछ दिन पहले अखबारों में आया है इलेक्शन कमीशन ने निर्देशित कर डॉ. नरोत्तम मिश्रा को विधान सभा के लिये तीन साल के लिये डी-बार कर दिया है. इलेक्शन कमीशन ने यह आदेश दिया है कि -

"Therefore, the Commission is of the considered view and holds that the Respondent, Dr. Narottam Mishra, should be disqualified under Section10A of the RP Act, 1951. Accordingly, the Election Commission hereby declares that Dr. Narottam Mishra, stands disqualified, for three years from the date of this order, under Section 10A read with Sections 77 and 78 of the Representation of People Act, 1951 for failure to lodge his account of election expenses in the manner required by the law and for having no good reason or justification for such failure."This was the order of the Election Commission."

इसके बावजूद प्रश्नोत्तर सूची में माननीय मंत्री का नाम आया है. अभी जो राष्ट्रपति चुनाव हुए, उसमें विधान सभा के सदस्यों की सूची आयी उसमें उनका नाम उल्लेखित नहीं था. वह किन आधारों पर वर्तमान में मंत्री हैं. यह सरकार सदन को बताये.

श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री, सहकारिता ने मत व्यक्त किया कि चूंकि मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए यह मामला सदन में नहीं उठाया जा सकता है.

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि श्री सुन्दरलाल तिवारी माननीय सदस्य ने विषय उठाया है. अभी माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग ने वह बात कह दी कि मामला अभी सब-ज्यूडिस. अभी यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निर्णयाधीन (सब-ज्यूडिस) है. इसलिये अभी उस पर कोई चर्चा यहां नहीं होगी और न ही उस पर कोई प्रश्नोत्तर होंगे.

(अपराह्न 12.56 से 3.35 बजे तक अन्तराल)
अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने –

(क) दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का स्थानीय निकाय, वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या-4; तथा

(ख) वाणिज्यिक कर विभाग की निम्न अधिसूचनाएं :-

(i) एफ-ए-3-52-2016-1-पांच (2), दिनांक 18 जनवरी, 2017,
(ii) एफ-ए-3-54-2016-1-पांच (3), दिनांक 20 जनवरी, 2017,
(iii) एफ-ए-3-03-2017-1-पांच (6), दिनांक 23 फरवरी, 2017,
(iv) एफ-ए-3-53-2016-1-पांच (12), दिनांक 28 मार्च, 2017,
(v) एफ-ए-3-9-2017-1-पांच (13), दिनांक 30 मार्च, 2017,
(vi) एफ-ए-3-11/2017/1/पांच (22), दिनांक 12 जून, 2017, तथा
(vii) एफ-ए-3-11-2017-1-पांच (23), दिनांक 14 जून, 2017

पटल पर रखीं.

(2) कुंवर विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-44-23-2015-बीस-2, दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 पटल पर रखी.

(3) श्री राजेन्द्र शुक्ल, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने एम.पी. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इं) लिमिटेड, इन्दौर का 36 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-2016 पटल पर रखा.

7. ध्यानाकर्षण

(1) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की छतरपुर जिले में नल जल योजनाएं संचालित न किये जाने एवं

(2) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य की भीकनगांव क्षेत्र के अपरवेदा बांध के डूब प्रभावितों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने,

संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचनाएं उनकी अनुपस्थितिवश प्रस्तुत नहीं की गईं.

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित निम्नांकित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(2) श्री कालुसिंह ठाकुर (जिला-धार)
(3) श्री जितेन्द्र गेहलोत (जिला-रतलाम)
(4) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(5) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(6) श्री मोती कश्यप (जिला-कटनी)
(7) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
(8) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(9) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर)
(10) श्री प्रहलाद भारती (जिला-शिवपुरी)
(11) श्री दिनेश राय 'मुनमन' (जिला-सिवनी)
(12) श्री आर.डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(13) श्री रजनीश सिंह (जिला-सिवनी)
(14) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(15) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(16) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(17) श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-गुना)
(18) श्री दीवानसिंह पटेल (जिला-बड़वानी)
(19) श्री महेश राय (जिला-सागर)
(20) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(21) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगोन)
(22) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(23) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर (जिला-खण्डवा)
(24) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(25) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(26) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(27) डॉ. कैलाश जाटव (जिला-नरसिंहपुर)
(28) श्रीमती सरस्वती सिंह (जिला-सिंगरौली)
(29) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
(30) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(31) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(32) श्री मथुरालाल (जिला-रतलाम)
(33) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(34) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(35) श्री अरुण भीमावद (जिला-शाजापुर)
(36) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)कराये जाने,
(37) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(38) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (जिला-गुना)
(39) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(40) श्री अनिल जैन (जिला-टीकमगढ़)
(41) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(42) श्री चेतराम मानेकर (जिला-बैतूल)
(43) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(44) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(45) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(46) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(47) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक (जिला-छतरपुर)
(48) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(49) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खण्डवा)

9. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2017 (क्रमांक 15 सन् 2017) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 16 सन् 2017) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(3) श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 17 सन् 2017) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(4) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(5) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 21 सन् 2017) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

10. वर्ष 2017-2018 की प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान (पूर्वानुबद्ध)

वर्ष 2017-2018 की प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान पर दिनांक 21 जुलाई, 2017 को प्रारम्भ चर्चा के क्रम में श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया. निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :-

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(3) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(4) श्री बहादुर सिंह चौहान
(5) डॉ. गोविन्द सिंह
(6) श्री शैलेन्द्र जैन

सभापति महोदया (श्रीमती नीना विक्रम वर्मा) पीठासीन हुई.

(7) श्री शैलेन्द्र पटेल

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(8) श्री दुर्गालाल विजय
(9) कुंवर सौरभ सिंह
(10) श्री दिलीप सिंह परिहार
(11) श्री हरदीप सिंह डंग
(12) श्री देवेन्द्र वर्मा
(13) श्री जितू पटवारी

(चर्चा अपूर्ण)

अपराह्न 5.37 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 25 जुलाई, 2017 (3 श्रावण, शक सम्वत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 24 जुलाई, 2017